न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : तेवडी, **कैम्प दिनांक 18.06.2018**

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 127/2015 **दायर तारीख :–** 20.11.2015

1. सुवालाल } पुत्रान भगवाना
2. रामेश्वर }
3. ग्यारसीलाल }
4. बाबूलाल } पुत्रान छींतर
5. लालाराम }
6. झूमा देवी पत्नी छींतर

जाति गुर्जर निवासी ज्ञानपुरा तन तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण } पुत्रान रामनाथ
2. धूणीलाल }
3. धोलाराम }
4. रघुवीर }
5. सुखवीर }
6. विजयपाल }
7. संज्या देवी पत्नी रामकरण
8. हीरा देवी पत्नी विजयपाल
9. हंसा देवी पत्नी धोलाराम
10. बबली देवी पत्नी रघुवीर

जाति गुर्जर निवासी ज्ञानपुरा तन तेवडी, तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री नरेश कुमार आत्रेय, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.06.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा नम्बर 1376, 1387, 1447, 1448, 1449, 1453, 1454, 1473, 1477, 1493, 1494 किता 11 रकबा 4.16 हैक्टेयर खातेदारी हिस्सा 1/3 प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1, हिस्सा 1/3 प्रार्थी संख्या 2 व शेष हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी मुतनाजा से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1448/0.17, 1449/0.06 हैक्टेयर में खडी फसल व खसरा नम्बर 1493 में खडे हरे वृक्ष की टहनियों के संबंध में व कब्जे काश्त को लेकर आये दिन विवाद करते है तथा खसरा नम्बर 1493 में खडे वृक्षों को जबरन काटने की धमकी देते हैं। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण, व उनके नौकर, ऐजन्ट, प्रतिनिधी, स्थानापन्न वारिसान को ताफैसला मूलवाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे हाल खसरा नम्बर 1448/0.17, 1449/0.06, 1493/0.40 हैक्टेयर ग्राम ज्ञानपुरा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत पैदा नहीं करें।

2. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति जमाबन्दी खाता संख्या 88 संवत् 2069–2072, फोटोप्रति फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2015 आदि पेश किये।
3. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
4. अप्रार्थीगण का जवाब रहा कि प्रार्थीगण के पूर्वज भगवाना की साबिक खातेदारी में साबिक आराजी खसरा नम्बर 1027 रकबा 11 बीघा 12 बिसवा, 1010 रकबा 1 बीघा, 995 रकबा 1 बीघा, 1017 रकबा 1 बीघा किता 4 रकबा 14 बीघा 12 बिसवा दर्ज रही है, जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1376/0.25, 1387/0.16, 1447/2.15, 1448/0.17, 1449/0.06, 1453/0.22, 1454/0.21, 1473/0.10, 1477/0.18, 1493/0.40, 1494/0.26 हैक्टेयर किता 11 रकबा 4.16 हैक्टेयर निर्धारित कर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये गये, जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.51 हैक्टेयर अधिक है।

   हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड नक्शा के विपरीत परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि सैटिलमेंट कर्मचारियों ने मौके की वस्तुस्थिति व साबिक नक्शा के विपरीत हाल नक्शा बनाकर अप्रार्थीगण की भूमि का रकबा प्रार्थीगण की भूमि में शामिल करते हुए नक्शा ट्रेस गलत बनाया है, जिसे साबिक नक्शा के अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का साबिक रिकार्ड केअनुसार रकबा बरारी करवाया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस दुरूस्त करवाया जाना न्यायसंगत है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 1447, 1448, 1493 पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि साबिक नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत बिना किसी आधार एवं अधिकार के हाल नक्शा ट्रेस गलत बनाकर हाल राजस्व रिकार्ड में साबिक रकबा से अधिक रकबा पर खातेदारी दर्ज की गई है, जिससे प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी एवं इसी गलत अंकित खातेदारी के आधार नितान्त गलत एवं मनघडन्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण दायर किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे अप्रार्थीगण कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 1447/2.15, 1448/0.17, 1493/0.40 हैक्टेयर के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तेवडी में पेश हुई। उपस्थित पक्षकार को मजमा–ए–आम सुना गया ।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया । वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा नम्बर 1376, 1387, 1447, 1448, 1449, 1453, 1454, 1473, 1477, 1493, 1494 किता 11 रकबा 4.16 हैक्टेयर खातेदारी हिस्सा 1/3 प्रार्थी संख्या 1, हिस्सा 1/3 प्रार्थी संख्या 2 व शेष हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का निवेदन रहा कि आराजी मुतनाजा से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1448/0.17, 1449/0.06 हैक्टेयर में खडी फसल व खसरा नम्बर 1493 में खडे हरे वृक्ष की टहनियों के संबंध में व कब्जे काश्त को लेकर आये दिन विवाद करते है तथा खसरा नम्बर 1493 में खडे वृक्षों को जबरन काटने की धमकी देते हैं। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे हाल खसरा नम्बर 1448/0.17, 1449/0.06, 1493/0.40 हैक्टेयर ग्राम ज्ञानपुरा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत पैदा नहीं करें। प्रार्थी का मूल वाद स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है, जिसके बाबत अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना मय काउन्टर क्लेम पेश कर मजमे आम निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज भगवाना की साबिक खातेदारी में साबिक आराजी खसरा नम्बर 1027 रकबा 11 बीघा 12 बिसवा, 1010 रकबा 1 बीघा, 995 रकबा 1 बीघा, 1017 रकबा 1 बीघा किता 4 रकबा 14 बीघा 12 बिसवा दर्ज रही है, जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1376/0.25,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1387/0.16, 1447/2.15, 1448/0.17, 1449/0.06, 1453/0.22, 1454/0.21, 1473/0.10, 1477/0.18, 1493/0.40, 1494/0.26 हैक्टेयर किता 11 रकबा 4.16 हैक्टेयर निर्धारित कर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये गये, जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.51 हैक्टेयर अधिक है।

हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड नक्शा के विपरीत परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था, जबकि सैटिलमेंट कर्मचारियों ने मौके की वस्तुस्थिति व साबिक नक्शा के विपरीत हाल नक्शा बनाकर अप्रार्थीगण की भूमि का रकबा प्रार्थीगण की भूमि में शामिल करते हुए नक्शा ट्रेस गलत बनाया है, जिसे साबिक नक्शा के अनुसार दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का साबिक रिकार्ड के अनुसार रकबा बरारी करवाया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस दुरूस्त करवाया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि खसरा नम्बर 1447, 1448, 1493 पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि साबिक नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत बिना किसी आधार एवं अधिकार के हाल नक्शा ट्रेस गलत बनाकर हाल राजस्व रिकार्ड में साबिक रकबा से अधिक रकबा पर खातेदारी दर्ज की गई है, जिससे प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी एवं इसी गलत अंकित खातेदारी के आधार नितान्त गलत एवं मनघडन्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण दायर किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे अप्रार्थीगण कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 1447/2.15, 1448/0.17, 1493/0.40 हैक्टेयर के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

निष्कर्षतः प्रार्थी का मूल वाद स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा दोनो पक्षों के मध्य आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त को लेकर विवाद है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी में साबिक रकबा के मुकाबले हाल रकबा बढाने तथा हाल नक्शा गलत बनाने का कथन किया है, जबकि प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने चाहते है। यह कि मूल वाद साक्ष्य वादी में नियत चल रहा है। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के यह आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि दोनो पक्षों से कब्जे काश्त एवं रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित पूर्ण साक्ष्य सबूत लिए जावें, साथ ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार अनावश्यक विवाद नहीं बढे, अनावश्यक मुकदमेंबाजी नहीं बढे इसके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिए दोनो पक्षों को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत होगा कि आराजी मुतनाजा के कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, किसी भी प्रकार से एक–दूसरे के कब्जे काश्त में बेजा दखल नहीं करें।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम इस प्रकार स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा नम्बर 1448/0.17 हैक्टेयर के पश्चिमी भाग 0.13 हैक्टेयर तथा 1449/0.06, 1493/0.40, 1447/2.15 के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें, एक–दूसरे कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। उभय पक्षकार ताफैसला मूलवाद पाबन्द रहें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट तेवडी दिनांक 18.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर